

प्रेस नोट- थाना निगोही

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 03.06.2025

थाना निगोही पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

“थाना निगोही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 281/2025 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित दो अभियुक्तों को साहसिक पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार”

- गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ, व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ, 01 अदद कुल्हाड़ी, 02 अदद छुरी, 01 अदद बाका लोहे का, 01 लकड़ी का गुटका, 01 पीले रंग की प्लास्टिक की रस्सी, एक चार पहिया कार अर्टिगा, 01 अदद मोबाइल फोन टेक्नो स्पाक कम्पनी किया बरामद ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में प्रतिबन्धित पशुओं की तस्करी व अवैध शस्त्र व शांति अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना निगोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.03.2025 को थाना निगोही क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चक्रमली में एक बन्द पड़े मकान के सामने कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध करने के उद्देश्य से बोलेरो मैक्स पिक अप गाड़ी पर लादा जा रहा था । इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, पुलिस पार्टी को आता देख रात्रि का फायदा उठाकर अज्ञात अभियुक्तगण अपनी बोलेरो मैक्स गाड़ी मौके पर छोड़ कर भाग गये थे । मौके पर बोलेरो मैक्स पिक अप वाहन पर चढ़कर पुलिस द्वारा देखा गया तो पाँच गोवंशीय पशु (नंदी) के मुँह व पैर बुरी तरह से रस्सियों से बंधे हुये थे । जिनको भागे हुये अज्ञात तस्कर इन गोवंशी पशुओं का वध करके मांस को विक्रय करने के इरादे से आये थे । पुलिस द्वारा गोवंशी पशुओं के पैर व मुँह में बंधी रस्सीयों को चाकू से काटा गया था सभी गोवंशी पशु गाड़ी के अन्दर तडप रहे थे । जिनको पुलिस वालों द्वारा बड़ी मसकत के साथ खड़ा किया गया था पुलिस द्वारा बरामद सभी गोवंशीय पशुओं (नंदी) को ग्राम प्रधान श्री रामलड़ैते वर्मा पुत्र बाबूलाल के सुपुर्द कर गौशाला में भेजने हेतु तथा उचित देखरेख करने हेतु अवगत कराया गया था । जिसके संबंध में उ0नि0 श्री राजेश कुमार की फर्द बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 281/25 अंतर्गत धारा 3/5(A)/8 CS ACT व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । उच्चाधिकारीगणों द्वारा मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त अभियुक्तों का पता कर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 03/06/2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में संलिप्त दो अभियुक्तगण 1. मो0 शानू पुत्र रहीस अहमद निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली 2. अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को ग्राम

इनायतपुर वाले रोड पर पुरानी नहर कोठी के पास से पुलिस मुठभेड़ में समय करीब 01:58 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी। जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तगण 1.मो0 शानू पुत्र रहीस अहमद निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली के दाहिने पैर के घुटने में नीचे पीछे के साइड एक गोली लगी तथा अभियुक्त 2. अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत के बाये पैर के घुटने में नीचे के साइड गोली लगी है। गिरफ्तार दोनो अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.05.2025 को हम दोनो तथा हमारे साथी मो0 शाकिर पुत्र मो0 जाबिर निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया हाल निवासी ग्राम पीर बहोड़ा थाना इज्जत नगर जनपद बरेली व धर्मवीर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम ज्योति नगर थाना नवाबगंज जनपद बरेली ने ग्राम चक्रमलि से एक पिकअप बोलेरो मैक्स में गौवंशीय पशुओ को लादने के बाद ले जाने की फिराक में थे तभी अचानक पुलिस आ गई जिन्हे देखकर हम लोग पिकअप बुलेरो में बंधे/लदे गौवंशीय पशुओ को छोड़कर भाग गये थे, गौवंशीय पशुओ को जिन्हे हम लोग दूसरे राज्यों में ले जाकर अधिक दामों में बेच देते हैं तथा कभी कभी हम लोग भी गौवंशीय पशुओ का वध कर उनके मांस को भिन्न भिन्न जगहों पर बेच देते हैं। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.मो0 शानू पुत्र रहीस अहमद निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली 2. अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत 3. मो0 शाकिर पुत्र मो0 जाबिर निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया हाल निवासी ग्राम पीर बहोड़ा थाना इज्जत नगर जनपद बरेली 4. धर्मवीर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम ज्योति नगर थाना नवाबगंज जनपद बरेली का नाम प्रकाश में आया है। **पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 287/2025 धारा 109(1)/352/318(4)/3(5) बीएनएस(पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम 1.मो0 शानू पुत्र रहीस अहमद निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली 2. अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत पंजीकृत किया गया।** घायल अभियुक्तगणों 1.मो0 शानू पुत्र रहीस अहमद निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली 2. अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत का जिला चिकित्सालय शाहजहाँपुर में उपचार चल रहा है। बाद उपचार गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगणों 1.मो0 शानू पुत्र रहीस अहमद निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली 2. अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड स्वीकृत कराकर जेल भेजा जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता

1. मो0 शानू पुत्र रहीस अहमद निवासी ग्राम मुढ़िया जागीर थाना देवरनिया जनपद बरेली उम्र करीब 30 वर्ष
2. अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास:

अभियुक्त मो0 शानू पुत्र रहीस अहमद

1. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 305 बीएनएस थाना फरीदपुर जनपद बरेली
2. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 305 बीएनएस थाना फरीदपुर जनपद बरेली
3. मु0अ0सं0 43/2025 धारा 109/3(5) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना भुता जनपद बरेली
4. मु0अ0सं0 95/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना इज्जत नगर बरेली
5. मु0अ0सं0 15/2025 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना भुता जनपद बरेली
6. मु0अ0सं0 281/2025 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना निगोही
7. मु0अ0सं0 287/2025 धारा 109(1)/352/318(4)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना निगोही

अभियुक्त अनीश पुत्र लल्लू उर्फ हिरना

1. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11(1)(i), 11(1)(k) पशु क्रूरता अधिनियम थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

2. मु0अ0सं0 324/2021 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
3. मु0अ0सं0 1196/2016 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
4. मु0अ0सं0 494/2013 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 336/504 भादवि थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
5. मु0अ0सं0 163/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना इज्जत नगर जनपद बरेली
6. मु0अ0सं0 296/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
7. मु0अ0सं0 281/2025 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना निगोही
8. मु0अ0सं0 287/2025 धारा 109(1)/352/318(4)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना निगोही

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

ग्राम इनायतपुर वाले रोड पर पुरानी नहर कोठी के पास से पुलिस मुठभेड़ में दिनांक 03.06.2025 को समय करीब 01:58 बजे गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ
4. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ,
5. 01 अदद कुल्हाड़ी
6. 02 अदद छुरी
7. 01 अदद बाका लोहे का
8. 01 लकड़ी का गुटका
9. 01 पीले रंग की प्लास्टिक की रस्सी
10. 01 चार पहिया कार अर्टिगा
11. 01 अदद मोबाइल फोन टेक्नो स्पार्क कम्पनी

पूछताछ का विवरण:-

दोनों अभियुक्तगणों ने पूछताछ करने पर एक स्वर में बताया कि दिनांक 31.05.2025 को हम दोनों तथा हमारे साथी मो0 शाकिर पुत्र मो0 जाबिर निवासी ग्राम मुढिया जागीर थाना देवरनिया हाल निवासी ग्राम पीर बहोड़ा थाना इज्जत नगर जनपद बरेली व धर्मवीर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम ज्योति नगर थाना नवाबगंज जनपद बरेली ने ग्राम चक्रमली थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर से एक पिकअप बोलेरो मैक्स में गौवंशीय पशुओं को लादने के बाद ले जाने की फिराक में थे तभी अचानक पुलिस आ गई जिन्हें देखकर हम लोग पिकअप बुलेरो में बंधे/लदे गौवंशीय पशुओं को छोड़कर भाग गये थे, गौवंशीय पशुओं को जिन्हें हम लोग दूसरे राज्यों में ले जाकर अधिक दामों में बेच देते हैं तथा कभी कभी हम लोग भी गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को भिन्न भिन्न जगहों पर बेच देते हैं। मौके पर गाड़ी से बरामदा उपरोक्त छुरी व कुल्हाड़ी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण से पूछा गया तो दोनों अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया इन्हीं छुरी व कुल्हाड़ी से आज हम लोग किसी गोवंशीय पशु का वध करके उनके टुकड़े करके ले जाते लेकिन आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

12. प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह
13. उ0नि0 प्रमोद कुमार
14. उ0नि0 इरफान अली
15. उ0नि0 ऋषिपाल सिंह
16. उ0नि0 मोहित कुमार

17. उ0नि0 पंकज कुमार
18. का0 1735 ज्ञानेन्द्र
19. का0 2759 अंकित कुमार
20. का0 2604 प्रवेश कुमार
21. का0 2171 परीक्षित तेवतिया